



2026:AHC-LKO:9825-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 12685 सन 2025

गरिमा दीक्षित

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	गरिमा दीक्षित व्यक्तिगत रूप से
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पुनीत चंद्रा, रमा पति शुक्ला, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

याचिकाकर्ता, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (उत्तर प्रदेश रेरा) द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण पत्र के निष्पादन न होने से व्यथित होकर, यह रिट याचिका दायर की है।

प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा प्रदत्त राशि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की गणना के अनुसार उनके पास जमा कर दी गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि पूरी राशि जमा नहीं की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 4, आवास विकास के रुख के मददेनजर, पूरी राशि उत्तर प्रदेश रेरा के पास जमा कर दी गई है और वसूली प्रमाण पत्र वापस कर दिया गया है।

उपरोक्त के मददेनजर, यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह इसे उत्तर प्रदेश रेरा के समक्ष उठा सकती है और कानून द्वारा निर्धारित उपाय अपना सकती है।

तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फ़रवरी 9, 2026

आशीष देवल

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।